

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल


:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 18/05/2022

क्रमांक 872 /4508/2021/38/1 :: विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 24.11.2021 द्वारा डॉ. एल.एल. कोरी, प्राचार्य, शासकीय कन्या महाविद्यालय, छतरपुर को अपने कर्तव्यों के साथ-साथ शासकीय महाराजा स्वशासी स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय, छतरपुर से महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के फरवरी, 2022 तक के वेतन आहरण, संवितरण एवं सेवानिवृत्ति होने पर समस्त प्रकरणों के निराकरण हेतु अधिकृत किया गया था।

2/ उक्त अवधि समाप्त होने के कारण राज्य शासन एतद द्वारा विभागीय आदेश दिनांक 24.11.2021 के अनुक्रम में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के फरवरी, 2023 तक वेतन आहरण, संवितरण एवं सेवानिवृत्ति होने पर समस्त प्रकरणों के निराकरण हेतु प्राचार्य, शासकीय कन्या महाविद्यालय, छतरपुर को अधिकृत करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


18.05.2022
(संघमित्रा गौतम)

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग


पृ.क्रमांक 873 /4508/2021/38/1

भोपाल, दिनांक 18/05/2022

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय सतपुडा भवन, भोपाल,
2. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक संचालक, सागर संभाग, सागर,
3. कुल सचिव, महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर,
4. जिला कोषालय अधिकारी, छतरपुर,
5. प्राचार्य, शासकीय कन्या महाविद्यालय, छतरपुर,
6. गार्ड फाईल,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


18.05.2022
उप सचिव

म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग